कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0बजट–44/2019– 1061 दिनांक : 14/11/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) हेतु कुल **रू0 133.802 लाख (एक करोड़ तैंतीस लाख अस्सी हजार दो सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–47/2019–33/स्वी0 व0प0 दिनांक 05.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–47/2019–82/आ0 व0प0 दिनांक 05.09.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष– 09 "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 133.802 लाख (एक करोड़ तैंतीस लाख अस्सी हजार दो सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	**विपत्र कोड**	**(राशि लाख में)**
मजदूरी	19S240601796090103	13.720
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796090323	120.082
कुल :–		**133.802**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2**, एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यों के लिए संबंधित प्रशिक्षण विद्यालयों को राशि पूर्व में उप–आवंटित कर दी गई है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक –सह– मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क कर दिशा निर्देश प्राप्त किया जा सकता है।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन समितियों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी, उस समिति से संबंधित सभी अभिलेख एवं उत्पादित लाह से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

4. इस योजना का कोड संख्या– 19S240601796090103, 19S240601796090323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वियन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना

के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद मे मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाता/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी, या GeM से किया जाएगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा

<u>**अनुलग्नक :– यथोक्त**</u> ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–44 / 2019–** 1061 दिनांक– 14/11/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित मुख्य वन संरक्षक –सह– मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / गुमला / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–44 / 2019–** 1061 दिनांक– 14/11/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, खूँटी / सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक—1

वित्तीय वर्ष 2019—20 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का प्रथम वर्ष का प्रमण्डलवार उप—आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019—20 में रू0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2019—20 प्रथम वर्ष		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				6.860	**60.041**	**66.901**
i	ii	iii	iv	v	vi	viii
1	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	125	12500	6.860	60.041	66.901
2	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	125	12500	6.860	60.041	66.901
योग :—		**250**	**25000**	**13.720**	**120.082**	**133.802**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

कुसुमी लाह उत्पादन हेतु कार्य दर तालिका

(कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना (तीन वर्षीय) की कार्य दर

लाह–पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार

(रू० लाख में)

क्र0 सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2019–20 मजदूरी प्रति मानव दिवस 249.83					द्वितीय वर्ष 2020–21 मजदूरी प्रति मानव दिवस 287.30					तृतीय वर्ष 2021–22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 330.40					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1	वृक्षों का चिह्नांकन	रू० 2.98 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.373	0.000	0.000	**0.373**		0.000	0.000	0.000	**0.000**		0.000	0.000	0.000	**0.000**	**0.373**	प्रति लाभुक परिवार 10 कुसुम के वृक्षों का चिन्हांकन किया जाएगा जिसे तीन सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट–1 के लाभार्थियों द्वारा पूर्व से ही कटाई छटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों (4 वृक्ष प्रति परिवार) की कटाई छटाई की जाएगी।
1	प्रशिक्षण																		
	(क) हितग्राही परिवारों के एक–एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रू0 प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	**1.250**			1.000	0.250	**1.250**			1.000	0.250	**1.250**	**3.750**	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक–एक शिक्षित सदस्य /प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.260	**0.260**					**0.000**					**0.000**	**0.260**	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, नामकुम, राँची (IINRG) के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रू० 1775/– प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		**2.219**					**0.000**					**0.000**	**2.219**	प्रथम वर्ष में सेट–1 के लाभार्थी द्वारा कटाई छटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों की कटाई छटाई की जाएगी। द्वितीय वर्ष में सेट–3 के 3750 वृक्षों की कटाई छटाई एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों पर बीहन लाह का संचारण किया जाएगा। तृतीय वर्ष में सेट –3 के 3750 वृक्षों पर बीहन लाह का संचारण।
4	वृक्षों की कटाई–छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	5000 वृक्ष	2.498			**2.498**	3750 वृक्ष	2.155			**2.155**					**0.000**	**4.653**	
5	बीहन लाह का क्रय	4–6 कि0 ग्राम प्रति वृक्ष; रू० 200.00 प्रति कि०ग्रा०	3750 वृक्ष		45.000		**45.000**	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 5000 वृक्ष				**0.000**	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 3750 वृक्ष				**0.000**	**45.000**	बीहन लाह का क्रय निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
6	संचारण व्यय	1 मा0 दि0 प्रति 5 वृक्ष	3750 वृक्ष	1.874			**1.874**	5000 वृक्ष	2.873			**2.873**	3750 वृक्ष	2.478			**2.478**	**7.225**	क्रय किए गए बीहन लाह से प्रथम वर्ष के जनवरी/ फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण सेट–1 के पूर्व से लाभार्थी द्वारा कटाई छटाई किए गए चयनित 3750 वृक्षों पर किया जाएगा तथा द्वितीय वर्ष के जनवरी माह में सेट–2 के वृक्षों

क्रं0 सं0	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2019–20 मजदूरी प्रति मानव दिवस 249.83					द्वितीय वर्ष 2020–21 मजदूरी प्रति मानव दिवस 287.30					तृतीय वर्ष 2021–22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 330.40					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
7	फसल संरक्षण पर व्यय	60 रू० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	3750 वृक्ष		2.250		**2.250**	5000 वृक्ष		3.000		**3.000**	3750 वृक्ष		2.250		**2.250**	**7.500**	तथा तृतीय वर्ष में सेट–3 के 3750 वृक्षों पर जनवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा। जो कृषक फलेमजिया सेमियालता प्रजाति की खेती करेंगें वे तृतीय वर्ष के जुलाई माह में बीहन लाह का संचारण करेंगें।
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रू०			7.500		**7.500**					**0.000**					**0.000**	**7.500**	
9	फुन्की का स्क्रेपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	3750 वृक्ष	0.375			**0.375**	5000 वृक्ष	0.575			**0.575**	3750 वृक्ष	0.496			**0.496**	**1.445**	
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250		**0.250**			0.250		**0.250**		0.000	0.250		**0.250**	**0.750**	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक@ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक / माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	**0.300**	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	**0.600**	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	**0.600**	**1.500**	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रू0 प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			**1.440**	12 CRP (12 माह)	2.880			**2.880**	12 CRP (12 माह)	2.880			**2.880**	**7.200**	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड / प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		**0.500**			0.500		**0.500**			0.500		**0.500**	**1.500**	
	कुल योग–			***6.860***	***58.719***	***0.510***	***66.089***		***9.083***	***4.750***	***0.250***	***14.083***		***6.454***	***4.000***	***0.250***	***10.704***	***90.876***	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Inclunding MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)				1.322		**1.322**			0.282		**0.282**			0.214		**0.214**	**1.818**	
	सकल योग–			**6.860**	**60.041**	**0.510**	**67.411**		**9.083**	**5.032**	**0.250**	**14.365**		**6.454**	**4.214**	**0.250**	**10.918**	**92.694**	

नोट : वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर 249.83 रुपये प्रति मानव दिवस के आधार पर योजना का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2019-20\Development\Sub-Allotment\MFP\TSP\Work Program-2\Work Program TSPD:\2019-20\Development\Sub-Allotment\MFP\TSP\Work Program-2\Work Program TSP

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2019-20 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-44/2019/1061 दिनांक - 14-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	72625	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	686,000.00 रुपये छः लाख छियासी हजार
2	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	72626	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	686,000.00 रुपये छः लाख छियासी हजार
3	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	72627	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	6,004,100.00 रुपये साठ लाख चार हजार एक सौ

योग: 7,376,100.00

क्रमिक योग: रुपये तीहत्तर लाख छहत्तर हजार एक सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

164.100.151.245

[redacted]

पत्र संख्या - 01/YB-44/2019/1061 दिनांक - 14-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	72628	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	6,004,100.00 रुपये साठ लाख चार हजार एक सौ

State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)

Centeral Scheme : NA

योग: 6,004,100.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड तैतीस लाख अस्सी हजार दो सौ 13,380,200.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF,DEV,JHARKHAND RANCHI

 164.100.151.245 Run Date: 14/11/2019